समाचार.प्रकाषनार्थरू.

विधायक श्री चेतन्य काश्यपए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा
शनिवार को शहर में निर्माणाधीन सड़कों का जायजा लिया गया
सड़क भूमिपूजन भी कियाए समस्त कार्यों को 15 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए

रतलाम 05 मार्च । रतलाम शहर विधायक माननीय श्री चेतन्य काश्यप तथा कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम इंजीनियरों के साथ शनिवार को शहर का सघन भ्रमण करके निर्माणाधीन सड़कों तथा अन्य कार्यों का जायजा लिया गया। शहर में लगभग 5 करोड़ रूपए के टेंडर सड़कों के निर्माण हेतु जारी हुए हैं। विधायक तथा कलेक्टर द्वारा निरीक्षण की गई सड़कों के संबंध में ठेकेदारों को आगामी 15 मई तक कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। बताया गया कि होली के त्यौहार के पश्चात कार्य गति पकड़ेंगे। इस दौरान एसडीएम श्री राजेश शुक्लाए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ शेखए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान विधायक माननीय श्री चेतन्य काश्यप द्वारा चोमुखीपुल से गणेश देवरी तक बनने वाली सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया गया। बताया गया कि आगामी एक माह में सड़क का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पश्चात पैलेस रोड से लगे चक्की वाली गली में सड़क निरीक्षण के दौरान विधायक द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी जगह निर्माण से छूटे नहींए कच्ची जगह पक्की की जाए। आवश्यकता होने पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएं।

इसके पश्चात शेरानीपुरा पहुंचकर जमातखाने से लेकर हजीरा पुलिया तक बनने वाली सीसी रोड के लिए स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान पर्याप्त स्थान उपलब्धता के दृष्टिगत 12 मीटर सड़क निर्माण तय किया गया। रविवार से 6 मीटर

सड़क निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा जो पूर्व में 4 मीटर प्रस्तावित थाए बाकी 6 मीटर सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी होंगेए पोल शिफिं्टग भी किए जाएंगे तथा जहां चौडाई कम हैए वहां पूरी चौडाई में सडक बनाने के लिए रजिस्ट्री चेक करके अतिक्रमण होने पर हटाया जाएगा। बताया गया कि हजीरा पुलिया भी नए सिरे से बनाई जाएगी। मॉर्निंग स्टार से टैंकर रोड सड़क निर्माण का निरीक्षण भी किया गयाए कार्य पूरा कर लिया गया है परन्तु आगे औद्योगिक क्षेत्र तक कनेक्टिविटी देने के लिए छूटे हुए हिस्से पर सडक निर्मित की जाएगी तथा आगे जेवीएल मंदिर तक रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद इंद्रलोक नगर मेन रोड निर्माणाधीन डामरीकरण कार्य देखा गया। जनचेतना मूक बधिर स्कूल परिसर में 72 लाख रुपए लागत से निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स का निर्माण तेजी से चल रहा है। यहां टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन हाल की सुविधा रहेगी। कार्य आगामी 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा।

डोंगरे नगर में निर्माणाधीन सीमेंट कांक्रीट सड़क निरीक्षण किया गया। विधायक ने निर्देश दिए कि कोई भी जगह छूटे नहीं और जहां अतिक्रमण हो उसे हटाकर कार्य किया जाए। अंबे माता चौक से साईं बिलिं्डग तक डामर सड़क निर्माण देखा गया। सेठजी के बाजार में ढाई सौ मीटर लंबे मार्ग निर्माण के लिए निरीक्षण किया गया। विधायक द्वारा निर्देशित किया गया कि नाली निर्माणए पेवर ब्लॉक व्यवस्थित ढंग से किए जाएं। विधायक तथा कलेक्टर नयागांव क्षेत्र में पहुंचेए जहां पूर्व पार्षद सुश्री सीमा टांक द्वारा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के संबंध में विधायक तथा कलेक्टर को बताया गया।

विनोबा नगर मुक्तिधाम पहुंचकर भी निरीक्षण किया गया जहां विधायक निधि से शेड निर्मित किया जा रहा है। सामने के चोराहे पर विधायक द्वारा नागरिको की मांग पर हाई मास्ट लगाने के निर्देश दिए गए। मुक्तिधाम के बगल में खाली पड़ी भूमि पर सब्जी तथा फल वालों को बैठने के लिए स्थान देने पर चर्चा की गई तथा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सब्जी तथा फल वालों के लिए

सैलाना ओवरब्रिज के नीचे एवं एमपीईबी ग्रिड के सामने खाली पड़ी भूमि का भी निरीक्षण करके कार्य शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया। साक्षी पेट्रोल पंप के सामने 20 हजार स्क्वायर फीट भूमि का उपयोग भी फल तथा सब्जी वालों को स्थान देने के लिए किया जाएगा। धोलावाड़ कार्यालय के बाहर सुविधा घर निर्माण हेतु निर्देशित किया गया।

विधायकए कलेक्टरए पुलिस अधीक्षकए निगम आयुक्त व गणमान्य नागरिकों ने अंकूर अभियान के तहत अमृत सागर उद्यान में 200 पौधो का रोपण किया

अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 1495 पौधो का हुआ रोपण

रतलाम 04 मार्च । प्राण वायु हेतु षासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यपए भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह लुनेराए कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तमए पुलिस अधीक्षक श्री अभिशेक तिवारीए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़ेए एसडीएम श्री राजेष षुक्ला सहित जनप्रतिनिधिए अधिकारीए कर्मचारी व गणमान्य नागरिकों ने अमृत सागर उद्यान में पौधो का रोपण किया जाकर रोपे गये पौधो के फोटो को अंकूर एप पर डाउनलोड किया गया।

अंकूर अभियान के अंतिम दिन 5 मार्च षनिवार को अमृत सागर उद्यान में शीशमए केशियाए गुड़हलए नीमए करंजए अमलतासए कनेर आदि प्रजातियो के 200 पौधो का रोपण कर उन्हे सहेजने का संकल्प लिया गया। अंकुर अभियान में नगर निगम ने पहले दिन 425 ए दूसरे दिन 490ए तीसरे दिन 300ए चौथे दिन 80ए और पांचवे दिन 200 पौधे इस तरह कुल 1495 पौधो का रोपण नगर के विभिन्न उद्यानों में किया गया।

अंकुर अंतिम दिन तक कुल 1495 पौधों का पौधारोपण किया है निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि षासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत 4 मार्च

षुक्रवार को बजरंग नगरए तिरूपति नगरए जिला षिक्षा केन्द्रए बोहरा बाखल सहित अन्य उद्यानों में शीशमए केशियाए गुड़हलए नीमए करंजए अमलतासए कनेर आदि प्रजातियो का पौधा रोपण करते हुए 80 पौधो का रोपण किया गया।

इस अवसर पर सर्वश्री बजरंग पुरोहितए अषोक पोरवालए मनोहर पोरवालए प्रदीप उपाध्यायए जयवंत कोठारीए दिनेष षर्माए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदारए उद्यान पर्यवेक्षक अनिल पाराए सहित राजस्व और नगर निगम के अमले सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

लोक अदालत में करो की बकाया राषि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

12 मार्च षनिवार को लोक अदालत का आयोजन

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 05 मार्च । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक

बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12ध्03ध्2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 5 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा

योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेष

रतलाम 5 मार्च । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर के विभिन्न चौराहोए सार्वजनिक स्थलोंए षासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेष देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ.स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेष दिया जा रहा है।

5 मार्च को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 05 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे्रचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 05 मार्च षनिवार को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे्रचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

05 मार्च षनिवार को डम्पर से 29380ए टेªक्टर से 21080ए मैजिक सूखा कचरा 33520ए मैजिक गीला कचरा 16820 किलो इस तरह कुल 100800 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

7 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 05 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 7 व दोपहर की षिफ्ट में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

05 मार्च षनिवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में रमेष.राजेन्द्रए बरखा पति सुरेषए अजय.विनोदए झोन क्रमांक 2 में संगीताबाई पति हरीषए उशाबाई पति मनोहरए झोन क्रमांक 3 में मनीश.विजयए झोन क्रमांक 4 में रेखाबाई पति प्रहलादए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में मनोरमाबाई पति जगदीषए सुनिताबाई पति संजयए रवि पिता संजयए झोन क्रमांक 4 में रमेष पिता बाबुलाल इस तरह 7 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 05 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 05 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेª षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेª षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 05 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205ं हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 05 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 05 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जणसंणविण्ध्हेमन्तध्05ण03ण2022ध्नणपाणनिगमए रतलामण